

वादी
नेमाराम पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल
निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी

ना
म

बन्नाराम कडवा पुत्र बालूराम जाट नि.
हनुमानपुरा वगैरह

राजस्व वाद-पत्र = घोषणा खातेदारी भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 53,
88,188 R.T.R.Act 1955

राजस्व वाद-पत्र नम्बर = 33/2024

GCMS No.2024/66


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए

21.03.2024

वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र घोषणा खातेदारी भू-विभाजन व
स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88,188 R.T.R.Act 1955 के
तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।
प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 26.04.2024
को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

26.04.24

पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः
पत्रावली दिनांक...13/5/24...को पेश हो।

+

30/04/2024 वकील वादी एवं वादी के आवेदन पर
प्रमाणपत्रों द्वारा वाद पत्र की गई शर्तों पर के प्रमाण
दिया है कि पक्षकपन के रूप में प्रमाणित है
शर्तों पर ही प्रमाणित है। अतः वाद पत्र
वादी पक्ष के विरुद्ध खातेदारी प्रमाणपत्रों
के द्वारा प्रमाणित है। अतः वाद पत्र
रद्द है।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

नेमाराम
